


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2014/श्रावण 29, 1936

No. 433] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2014/SHRAVANA 29, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2014

सं. 17 /2014-सेवा कर

सा.का.नि. 598(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, संख्या सा.का.नि. 467 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 में एतद्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) प्रारम्भिक पैराग्राफ में, प्रविष्टि 5 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि समावेशित की जाएगी, अर्थात्:—
“5क. द्विपक्षी व्यवस्था के अंतर्गत, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रसुविधित एक धार्मिक तीर्थाटन के संबंध में किसी विशिष्ट संगठन द्वारा सेवाएं;”;
- (ii) परिभाषाओं से संबंधित पैराग्राफ 2 में, खण्ड (यच) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड समावेशित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(यचक्र) “विशिष्ट संगठन” से तात्पर्य होगा, -

(क) कुमाऊँ मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम; अथवा

(ख) हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 2 में यथा परिभाषित ‘समिति’ अथवा ‘राज्य समिति’;।

[फा. सं. ख 1/1/2014-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 467 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 द्वारा अधिसूचना सं. 25/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी और सं. सा.का.नि. 475(अ), दिनांक 11 जुलाई, 2014 द्वारा अधिसूचना सं. 06/2014-सेवा कर, दिनांक 11 जुलाई, 2014 के माध्यम से अन्तिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2014

No. 17/2014 -Service Tax

G.S.R. 598(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 25/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 467 (E), dated the 20th June, 2012, namely:-

In the said notification,—

(i) in the opening paragraph, after entry 5, the following entry shall be inserted, namely:—

“5A. Services by a specified organisation in respect of a religious pilgrimage facilitated by the Ministry of External Affairs of the Government of India, under bilateral arrangement;”;

(ii) in paragraph 2 relating to definitions, after clause (zf), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(zfa) “specified organisation” shall mean,—

(a) Kumaon Mandal Vikas Nigam Limited, a Government of Uttarakhand Undertaking; or

(b) ‘Committee’ or ‘State Committee’ as defined in section 2 of the Haj Committee Act, 2002 (35 of 2002);’.

[F. No. B1/1/2014 -TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification No. 25/2012 - Service Tax, dated the 20th June, 2012, *vide* number G.S.R. 467 (E), dated the 20th June, 2012 and last amended *vide* notification No. 06/2014-Service Tax, dated the 11th July, 2014 *vide* number G.S.R. 475 (E), dated the 11th July, 2014.